

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
109/2025

दायर दिनांक
02.06.2025

निर्णय दिनांक
07.11.2025

अनवान

1. कंकु पुत्री भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गणेश पिता भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तिलोक पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मंजू पुत्री भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मोहनीदेवी पत्नी भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रूकमणीदेवी पुत्री भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. संतोष पुत्री भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली आयु बालिग निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. हीरालाल पुत्र मांगीलाल जाति लौहार आयु बालिग निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा
एकतरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र, अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 113 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 2890, 2891, 3866/240, 4005/239 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 3.4200 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर

Page | 1

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें।
प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 113 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 2890, 2891, 3866/240, 4005/239 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 3.4200 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक जिला पट्टा
उपखण्ड अधिकारी,
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ